राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] चौदहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का पहला दिवस [संख्या : 1

बुधवार,

25 फरवरी, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.43 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : नमस्कार। नमस्कार। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में स्वाइन फ्लू की स्थिति को सुधारने के लिए आप सरकार को निर्देश तो दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने अच्छा संदेश दे दिया। सारे राजस्थान में स्वाइन फ्लू से बचने के लिए मास्क लगाना चाहिए।

आप सबको नमस्कार। नमस्कार।

वन्दे मातरम।

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

अनुरोध एवं मांग

स्वाइन फ्लू की रोकथाम हेतु उपाय

श्री अध्यक्ष : नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सबको। प्रणाम (व्यवधान) प्रणाम भी, नमस्कार भी, नमस्ते भी। (व्यवधान) विराजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में स्वाइन फ्लू की स्थिति सुधारने का सरकार को निर्देश दें। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में स्वाइन फ्लू का जिस तरीके से प्रकोप हो रहा है, पूरे हिन्दुस्तान में साढे आठ सौ मौतें स्वाइन फ्लू से हुई हैं और खाली अकेले राजस्थान में सवा दो सौ मौतें स्वाइन फ्लू से हुई हैं। सरकार, मतलब, बिलकुल नाकाम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को आदेश दो कि कुछ न कुछ इसमें करे। स्वाइन फ्लू के इलाज के अभाव में लगातार मौतें हो रही हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता, इस पर बहस करायेंगे। इस पर बहस भी करायेंगे और आप चाहेंगे तो इस पर वक्त्व्य भी दिला देंगे। वैसे आपने सारे राजस्थान को संदेश तो दे ही दिया है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : संदेश क्या, मैं तो कार्रवाई के लिए कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता जब चाहेंगे, सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : ...(व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता को अगर स्वाइन फ्लू हो जायेगा तो उसका इलाज भी पक्का कर देंगे। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार इतनी लाचार है। आप भी मास्क लगा लो। आप भी मास्क लगा लो। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) : पंचायती राज इलेक्शन में हो गया इलाज पक्का, लेकिन और, और पक्का कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। विशिष्ट सचिव रखेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : वैसे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दूर-दूर तक जा रही है नजर आपकी, दूर-दूर तक।

श्री अध्यक्ष: आंखें खराब थीं, वे ठीक करा ली हैं मैंने। मेरी आंखें खराब थी, मैंने आपरेशन करवा लिया, अब ठीक है। आंख दिखाने में आनन्द आयेगा मुझे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति

विशिष्ट सचिव (राजस्थान विधान सभा) : माननीय अध्यक्ष महादेय, मैं, आपकी अनुमति से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, 14वीं राजस्थान विधान सभा के विगत सत्रों में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) ठेका श्रम विनिमय और उत्सादन, राजस्थान (संशोधन) विधेयक, 2014,

(2) कारखाना राजस्थान (संशोधन) विधेयक, 2014,

(3) औद्योगिक विवाद राजस्थान (संशोधन) विधेयक, 2014, व

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता राजस्थान (संशोधन) विधेयक, 2014 ।

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1) राजस्थान भूमि विधियां (संशोधन) विधेयक, 2014, व

2) राजस्थान विधान सभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धि एवं पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2014 ।

श्री अध्यक्ष : अध्यादेश। श्री सुरेन्द्र गोयल।

अध्यादेश

श्री सुरेन्द्र गोयल (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नलिखित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं :-

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014

1) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश संख्याक-1), व

राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2014

2) राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश संख्याक-2)।

श्री अध्यक्ष : श्री राजपाल सिंह शेखावत।

राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अध्यादेश, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्याक-1) सदन की मेज पर रखता हूं।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए ओडिशा, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल तथा राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल, श्री रामेश्वर ठाकुर; त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल, श्री सुल्तान सिंह; महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य मंत्री, श्री अब्दुल रहमान अंतुले; राजस्थान से पूर्व सांसद रही श्रीमती उषा खान; राजस्थान के पूर्व मंत्री, श्री रघुनाथ परिहार; तथा इस विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री भंवरू खान, श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया, श्री देवीलाल मीणा, श्री जीवराज सिंह एवं श्रीमती गंगा देवी डाटा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

रामेश्वर ठाकुर, श्री, पूर्व राज्यपाल

राजस्थान के पूर्व कार्यकारी राज्यपाल, श्री रामेश्वर ठाकुर का जन्म 28 जुलाई, 1927 को झारखण्ड के गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी ग्राम में हुआ। आपने एम.ए. एलएल.बी. तथा एफ.सी.ए. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री रामेश्वर ठाकुर वर्ष 1984 तथा वर्ष 1990 में राज्य सभा के सांसद

(श्री अध्यक्ष)

निर्वाचित हुए। इस दौरान आप केन्द्रीय सरकार में वित्त, ग्रामीण विकास तथा संसदीय मामलात मंत्रालयों के राज्य मंत्री रहे। आप राज्य सभा की विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति तथा नियम समिति के सदस्य भी रहे।

श्री ठाकुर 17 नवम्बर, 2004 को ओडिशा के राज्यपाल पद पर आसीन हुए। आपके पास जनवरी, 2006 से अगस्त, 2007 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी रहा। आप जुलाई, 2007 से जून, 2009 तक कर्नाटक तथा जून, 2009 से सितम्बर, 2011 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। श्री ठाकुर 10 से 22 जुलाई, 2009 तक राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल भी रहे।

सी.ए. के रूप में अपना कैरियर शुरू करने वाले श्री ठाकुर इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इण्डिया के सदस्य तथा प्रेसिडेंट रहे। आप पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक तथा भारत सरकार के बैंकिंग आयोग द्वारा गठित बैंकिंग लागत संबंधी अध्ययन दल के चेयरमैन रहे। आप अनेक सामाजिक एवं वित्तीय संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। सामाजिक सुधार, शैक्षिक उत्थान तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में सक्रिय रहे श्री ठाकुर का कई अस्पतालों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा।

आप बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के राज्य आयोजना बोर्ड के सदस्य भी रहे। श्री ठाकुर राजेन्द्र भवन ट्रस्ट एवं ठाकुर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन रहे। आप विदेशों में विभिन्न अवसरों पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने गये भारतीय शिष्टमण्डलों का नेतृत्व किया।

श्री रामेश्वर ठाकुर का दिनांक 15 जनवरी, 2015 को निधन हो गया।

सुल्तान सिंह, श्री, पूर्व राज्यपाल

त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल श्री सुल्तान सिंह का जन्म वर्ष 1924 में हरियाणा के सोनीपत जिले के निजामपुर मिर्जा ग्राम में हुआ।

श्री सुल्तान सिंह जुलाई, 1989 से फरवरी, 1990 तक त्रिपुरा के राज्यपाल पद पर आसीन रहे। आप 10 वर्षों तक पंजाब विधान परिषद के सदस्य तथा वर्ष 1970 से 1986 तक तीन बार हरियाणा से राज्य सभा के सांसद रहे। श्री सिंह राज्य सभा की गृह समिति के सभापति तथा राजकीय उपक्रम समिति के सदस्य रहे। आप पंजाब विधान परिषद की अनेक समितियों

(श्री अध्यक्ष)

के सदस्य भी रहे। आपने 1976 में बुडापेस्ट, हंगरी में विकास पर आयोजित विश्व शांति सम्मेलन में भाग लिया।

कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री सुल्तान सिंह ने दल के विभिन्न पदों के दायित्वों का निर्वहन किया। आप हरियाणा आवासन मण्डल तथा हरियाणा राज्य विद्युत मण्डल के सदस्य भी रहे। सामाजिक कार्यों में रूचि रखने वाले श्री सिंह अनेक सामाजिक तथा शैक्षिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे।

श्री सुल्तान सिंह का दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को निधन हो गया।

ए. आर. अंतुले, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य मंत्री श्री अब्दुल रहमान अंतुले का जन्म 9 फरवरी, 1929 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अंबट ग्राम में हुआ। आपने बी.ए. (आनर्स) तथा बेरिस्टर-एट-लॉ की उपाधियां प्राप्त की।

श्री अब्दुल रहमान अंतुले वर्ष 1962 से 1976 तथा वर्ष 1980 से 1989 तक महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य रहे। आप जून, 1980 से जनवरी, 1982 तक महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री रहे। मुख्य मंत्री रहते हुए आपने गरीबों तथा पिछड़ों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं प्रारम्भ की। आप अक्टूबर, 1969 से फरवरी, 1976 तक महाराष्ट्र सरकार में विधि एवं न्याय विभाग सहित अनेक विभागों के राज्य मंत्री एवं मंत्री भी रहे।

श्री अंतुले नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के सदस्य तथा दो बार राज्य सभा के सदस्य भी रहे। आप जून, 1995 से मई, 1996 तथा जनवरी, 2006 से मई, 2009 तक केन्द्रीय सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। इस दौरान आपने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, अल्पसंख्यक मामले तथा जल संसाधन मंत्रालयों के दायित्वों का निर्वहन किया। संसद के कार्यकाल के दौरान आप राजकीय उपक्रमों सम्बन्धी समिति तथा संसद सदस्यों के लिए सुविधाएं और लाभ सम्बन्धी संयुक्त संसदीय समिति के सभापति रहे।

दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री अंतुले की ''पार्लियामेन्टरी प्रिविलेज'' ''महाजन रिपोर्ट अनकवर्ड'', ''अपाइंटमेंट आफ चीफ जस्टिस'' तथा ''डेमोक्रेसी पार्लियामेंटरी आर प्रसिडेंशियल'' शीर्षक से पुस्तकें प्रकाशित हुईं। वर्ष 1945 में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सार्वजनिक जीवन प्रारम्भ करने वाले श्री अंतुले ने अनेक सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहते हुए विभिन्न पदों पर कार्य किया।

श्री अब्दुल रहमान अंतुले का दिनांक 2 दिसम्बर, 2014 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

उषी खान, श्रीमती, पूर्व सांसद

पूर्व सांसद श्रीमती उषी खान का जन्म 24 दिसम्बर, 1935 को कानपुर में हुआ। आपने बेरिस्टर-एट-लॉ की उपाधि प्राप्त की।

श्रीमती उषी खान अप्रैल, 1976 से अप्रैल 1982 तक राज्य सभा में राजस्थान से कांग्रेस की सांसद रहीं। राज्य सभा में आप जिन समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहीं।

श्रीमती खान मेडिसन बैंक सोसाइटी, जयपुर की संरक्षक, हैंडीक्राफ्ट समिति, राजस्थान तथा सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण हेतु गठित महिला समिति की चेयरपर्सन रहीं। महिलाओं के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्शनील रही श्रीमती खान अन्तरराष्ट्रीय महिला वर्ष, 1975 के लिए गठित राजस्थान की राज्य स्तरीय समिति तथा राजस्थान किसान परिषद की महासचिव रहीं। आप अन्तरराष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 हेतु पूर्वी बर्लिन में आयोजित वर्ल्ड कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल की सदस्य भी रहीं। श्रीमती खान राजस्थान लघु उद्योग निगम तथा भारतीय पर्यटन निगम की निदेशक भी रहीं। आप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की लघु फिल्मों के लिए गठित चयन समिति, राजस्थान राज्य नागरिक परिषद, राजस्थान किसान परिषद तथा राजस्थान राज्य खेल परिषद की भी सदस्य रहीं।

सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाली श्रीमती उषी खान किसानों तथा महिलाओं के कल्याण से जुडे अनेक संगठनों से सम्बद्ध रहीं। चिकित्सा जगत की सेवा हेतु आपने मृत्यु-उपरांत देहदान किया।

श्रीमती उषी खान का दिनांक 8 अक्टूबर, 2014 को निधन हो गया।

रघुनाथ परिहार, श्री, पूर्व मंत्री एवं सदस्य

पूर्व मंत्री श्री रघुनाथ परिहार का जन्म 4 जुलाई, 1934 को पाली जिले के मुण्डारा ग्राम में हुआ। आपने साहित्य रत्न, बी.ए. तथा एलएल.बी, की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री रघुनाथ परिहार आठवीं राजस्थान विधान सभा में बाली निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के विधायक रहे। श्री परिहार राज्य सरकार में दिसम्बर, 1989 से मार्च, 1990 तक गृह रक्षा, नागरिक सुरक्षा, जन अभियोग निराकरण तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे। इससे पूर्व 9 से 15 दिसम्बर, 1989 तक आप पुनर्वास तथा मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग के

(श्री अध्यक्ष)

राज्य मंत्री रहे। श्री परिहार फरवरी, 1988 से दिसम्बर, 1989 तक विधान सभा के सरकारी मुख्य सचेतक भी रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति 'क' तथा अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य रहे।

सौम्य व्यक्तित्व के धनी श्री परिहार अपने सार्वजनिक जीवन में बाली पंचायत समिति के प्रधान रहे। भारतीय वायु सेना में कारपोरल के पद पर रहे श्री परिहार शिक्षा प्रचारक संघ, फालना के प्रधान तथा विशेष योग्यजन सेवा समिति और मानव कल्याण सेवा संघ, बाली के सदस्य भी रहे।

श्री रघुनाथ परिहार का दिनांक 21 फरवरी, 2015 को निधन हो गया।

भंवरू खान, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री भंवरू खान का जन्म 12 दिसम्बर, 1962 को सीकर जिले के रोलसाहबसर ग्राम में हुआ। आपने सैकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री भंवरू खान ग्यारहवीं, बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधान सभा में फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र से इण्डियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति, पुस्तकालय समिति तथा सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य रहे।

श्री खान वर्ष 1988 से 1993 तक ग्राम पंचायत, रोलसाहबसर के सरपंच रहे। आप इस ग्राम पंचायत के उप सरपंच तथा पंचायत समिति, फतेहपुर की स्थायी समिति के सदस्य भी रहे। सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए प्रयत्नशील रहे श्री खान कायमखानी समाज, फतेहपुर के उपाध्यक्ष भी रहे।

श्री भंवरू खान का दिनांक 21 दिसम्बर, 2014 को निधन हो गया।

जयदेव प्रसाद इन्दौरिया, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया का जन्म 14 जुलाई, 1921 को रतनगढ़ में हुआ। आपने श्री राजस्थान ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम से स्नातक तथा प्रयास से प्रथमा और हिन्दी साहित्य सम्मेलन की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया सातवीं तथा ग्यारहवीं विधान सभा में रतनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति, नियम समिति तथा पुनर्वास, खादी एवं ग्रामोद्योग, कारागार, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभागों की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री इन्दौरिया अपने सार्वजनिक जीवन में नगरपालिका, रतनगढ़ के सदस्य तथा दो बार चेयरमैन रहे। आप कारागृह सलाहकार समिति, चूरू के सदस्य भी रहे। श्री इन्दौरिया ने बीकानेर रियासत के राजस्व विभाग में भी अपनी सेवाएं दी। भारतीय संस्कृति के पोषक रहे श्री इन्दौरिया श्री राजस्थान ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम के महामंत्री एवं कुलसचिव रहे। आप राजस्थान रीजनल काउंसिल के सदस्य तथा चूरू जिला जज बोर्ड के अवैतनिक सचिव भी रहे। कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री इन्दौरिया चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री तथा अध्यक्ष रहे।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया का दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को निधन हो गया।

(12.00 बजे)

देवीलाल मीणा, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री देवीलाल मीणा का जन्म 14 जुलाई, 1929 को उदयपुर जिले की सराड़ा तहसील के ग्राम नठारा-की-पाल में हुआ। आपने मिडल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री देवीलाल मीणा दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं विधान सभा में सराड़ा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा क्षेत्र में आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री मीणा राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर के मंत्री तथा महाराणा प्रताप स्मारक समिति चावण्ड, उदयपुर के अध्यक्ष रहे। आप ग्राम सेवा सहकारी समिति, नठारा-की-पाल के अध्यक्ष भी रहे। श्री मीणा ने वर्ष 1949 से 1956 तक राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर द्वारा संचालित प्राथमिक शालाओं में अध्यापन का कार्य भी किया।

श्री देवीलाल मीणा का दिनांक 21 सितम्बर, 2014 को निधन हो गया।

जीवराज सिंह, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री जीवराज सिंह का जन्म 5 नवम्बर, 1925 को हुआ। आपकी शिक्षा झुन्झुनूं के चिराना विद्यालय में हुई।

श्री जीवराज सिंह तीसरी राजस्थान विधान सभामें गुढा निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप जन समस्याओं के निराकरण तथा शिक्षा के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे।

(श्री अध्यक्ष)

श्री सिंह अपने सार्वजनिक जीवन में ग्राम पंचायत, छापोली के सरपंच तथा पंचायत समिति, उदयपुरवाटी के सदस्य रहे। आप ग्राम सेवा सहकारी समिति, छापोली के अध्यक्ष तथा कृषि सिंचन समिति के चेयरमैन भी रहे। वर्ष 1961 तक आप राज्य परिष्द के जिला अध्यक्ष रहे।

श्री जीवराज सिंह का दिनांक 28 दिसम्बर, 2014 को निधन हो गया।

गंगादेवी डाटा, श्रीमती, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्रीमती गंगा देवी डाटा का जन्म वर्ष 1923 में पश्चिमी पाकिस्तान के मुलतान नगर में हुआ। आपकी शिक्षा-दीक्षा घर पर ही हुई।

श्रीमती गंगा देवी डाटा दूसरी राजस्थान विधान सभा में रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक रहीं।

स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रहीं श्रीमती डाटा वर्ष 1944 में राजनैतिक प्रतिबंधों के कारण अलवर रियासत में आईं, जहां उन्होंने महिला जागृति और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। गांधीवादी विचारों से प्रेरित रही श्रीमती डाटा ने अम्बर चरखा प्रशिक्षण का कार्य भी किया। आप जिला महिला कांग्रेस, अलवर की संयोजक भी रहीं।

श्रीमती गंगा देवी डाटा का दिनांक 5 फरवरी, 2015 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन की सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक गुरुवार, 26 फरवरी 2015 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.03 बजे गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी 2015 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

1. विधान सभा चुनावों में भारी बहुमत से सत्ता में आने के बाद राजस्थान की वर्तमान सरकार ने गत् एक वर्ष के दौरान प्रदेश के समग्र विकास की दृष्टि से सार्थक प्रयास प्रारम्भ किये हैं। हमें प्रदेश की जनता द्वारा दिये गये ऐतिहासिक जनादेश एवं सौंपी गयी जिम्मेदारी का अहसास है। आम जनता की हमारी सरकार से बढ़ी हुई अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की स्थितियों में हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को सुधारने, रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करने, प्रदेश के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने एवं प्रदेश के समग्र विकास के संकल्पों को पूरा करने के लिये पूर्ण मनोयोग से जुट गयी है।
2. नगरपालिका और पंचायत चुनाव कानून व्यवस्था की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील माने जाते हैं। यह दोनों चुनाव पूर्णत: शान्तिपूर्वक तरीके से सम्पन्न हुये हैं। इन चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था की दृष्टि से किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हुयी और किसी भी स्थान पर पुनर्मतदान की नौबत नहीं आई।
3. पंचायतराज की स्थापना और इसे प्रभावी ढंग से लागू करने में राजस्थान अग्रणी प्रदेश रहा है। इसी परम्परा को आगे बढ़ाते हुये पंचायतराज चुनावों के दौरान राज्य सरकार ने इसमें परिवर्तन करते हुये क्रांतिकारी पहल की है। देश में पहली बार पंचायतराज प्रतिनिधियों के लिये शिक्षा की अनिवार्यता को जोड़ा गया है। शिक्षा के प्रसार की दृष्टि से यह कदम एक मील का पत्थर सिध्द होगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की "स्वच्छ राष्ट्र" की परिकल्पना को साकार करने की दृष्टि से पंचायत राज चुनावों के दौरान शौचालय की अनिवार्यता को भी जोड़ा गया। इसके सार्थक परिणाम दृष्टिगोचर हुये एवं मात्र 4 माह के दौरान ही प्रदेश में 6 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ।

4. बढ़ती जनसंख्या के आधार पर पंचायतों का पुर्नगठन लम्बे समय से अपेक्षित था। पिछला पुर्नगठन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत के कार्यकाल में वर्ष 1981 में किया गया था। वर्तमान सरकार ने वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों के पुर्नगठन का कार्य प्रारम्भ किया गया और मात्र 3 माह की अवधि में इसे पूरा कर दिया। यह देश का अब तक का नया रिकार्ड है। पंचायतों के पुर्नगठन से नई पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के गठन से इन्हें केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं से अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नये आयाम स्थापित हो सकेंगे।

माननीय सदस्यगण !

5. राज्य की वार्षिक योजना वर्ष 2013-14 में 40 हजार 500 करोड़ रुपये थी। जिसे 2014-15 में परिवर्तित बजट प्रावधान में बढाकर 69 हजार 820 करोड़ रुपये की गई।

6. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के समन्वित विकास की दिशा में नये दृष्टिकोण के साथ नीति आयोग की स्थापना की है। राज्य में भी सतत्, संतुलित एवं त्वरित विकास हेतु उपाय सुझाने की दृष्टि से मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद् का गठन किया गया है। परिषद् के तहत कार्यकारी समिति एवं विभिन्न सेक्टर्स से सम्बन्धित 8 उप-समूह गठित किए गए हैं।

7. सार्वजनिक-निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए नीति निर्धारण हेतु आधारभूत विकास परिषद् का गठन किया गया है तथा परिषद् के कार्यों के सुचारू रूप से संचालन के लिए आधारभूत विकास की अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है।

8. भामाशाह योजना वर्ष 2008 में प्रारम्भ की गयी थी, लेकिन गत् सरकार ने दुर्भाग्य से इसे बंद कर दिया था। इस योजना को पुर्नजीवित कर "जन-धन योजना'' को समाहित करते हुये इसे पुन: प्रारम्भ किया गया है।

9. भामाशाह योजना को दिनांक 15 अगस्त, 2014 से प्रारम्भ कर भामाशाह कार्ड का वितरण दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 से शुरू कर दिया गया है। योजना के अन्तर्गत 50 लाख से अधिक परिवारों को नामांकित किया जा चुका है। इन लाभार्थियों के आधार नम्बर, भामाशाह आई.डी. एवं बैंक खाते इन्टरलिंक किए जा रहे हैं।

10. इस योजना का प्रसार करते हुये इसे स्वास्थ्य बीमा योजना से भी जोड़ा गया है। भामाशाह कार्डधारकों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत आउटडोर में 30 हजार एवं इन्डोर मरीजों को 3 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जायेगा।

11. राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों के समुचित सदुपयोग के साथ वर्ष 2014-15 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर दिसम्बर 2014 तक 621 करोड़ 39 लाख रुपये व्यय कर 8 हजार 840 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है।

12. सिंचाई में कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत 3 हजार 457 जल उपभोक्ता संगम का गठन किया जा चुका है।

13. फोर वाटर कान्सेप्ट के तहत वर्षा जल, सतही जल, मृदा जल एवं भू-जल के समुचित उपयोग हेतु दो पायलट परियोजनाएं यथा चम्बल की सहायक नदी आहु तथा माही की सहायक नदी बुनाद पर शुरू की गई हैं। इसके अन्तर्गत चम्बल बेसिन में 12 'माइक्रो सिंचाई योजना' एवं 31 चैक डेम तथा माही बेसिन में 5 'माइक्रो सिंचाई योजना' एवं 14 चैक डेम का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

14. नरेगा के तहत प्रत्येक पंचायत में एक-एक तालाब का निर्माण किया गया था। करोड़ों रुपये की राशि व्यय कर इनका पुनरुद्धार किया जा रहा है।

माननीय सदस्यगण!

15. नाबार्ड पोषित एक हजार 274 करोड़ रुपये की चम्बल नहरों के जीर्णोद्धार की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में दिसम्बर, 2014 तक 70 करोड़ 44 लाख रुपये व्यय किये गये। चम्बल की दांई मुख्य नहर में तीन क्रास रेगुलेटर के कार्यों तथा चम्बल की नहरों को पक्का करने हेतु योजनाओं पर इसी अवधि में 32 करोड़ 58 लाख रुपये व्यय किए गए। वर्ष 2014-15 में चम्बल नहर परियोजना की दांई मुख्य नहर के जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य 75 करोड़ रुपये की लागत से करवाए जाएंगे।

16. राज्य में पहली बार प्रिस्क्रिपशन सेवा 'नान्ताकृषि लाह पर्ची' को

आरम्भ किया गया है। वर्ष 2014-15 में दिसम्बर, 2014 तक 323 कृषकों की समस्याओं का समाधान कर लाभान्वित किया गया।

17. वर्ष 2014-15 में गंगनहर परियोजना के प्रथम चरण में 14 हजार 747 हैक्टेयर, सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना में 374 हैक्टेयर एवं अमरसिंह सब ब्रांच परियोजना में 32 हैक्टेयर में पक्के खालों का निर्माण किया गया है।

18. सड़कें आधारभूत विकास की धमनियां मानी जाती हैं। राज्य सरकार राज्य में विश्वस्तरीय सड़कों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पीपीपी आधार पर राज्य में 20 हजार किलोमीटर लम्बाई के राज्य राजमार्गों व मुख्य जिला सड़कों को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में 8 हजार 910 किलोमीटर लम्बाई के मार्गों को विकसित करने की विस्तृत परियोजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

19. इसमें एक हजार 12 किलोमीटर लम्बाई में 'पूर्वी-पश्चिमी कोरिडोर मेगा हाइवे परियोजना' का कार्य भी सम्मिलित है। इस गलियारे के विकसित होने से जैसलमेर, नागौर, भरतपुर, धौलपुर, बाड़मेर, जालौर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ व कोटा शहर लाभान्वित होंगे।

20. राज्य में वर्तमान में सामान्य क्षेत्र के 250 से 500 तक की आबादी के शेष रहे लगभग एक हजार 400 गांवों को नाबार्ड व आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत जून, 2015 तक सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। इनमें से 662 गांव को सड़कों से जोड़ा जा चुका है।

21. 'प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना' के अन्तर्गत 3 हजार 225 करोड़ रुपये की लागत से 11 हजार 499 किलोमीटर लम्बाई में डामर सड़कों का निर्माण कर 3 हजार 786 ढाणी और मजरों को सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसमें से एक हजार 898 ढाणी एवं मजरों को 6 हजार 170 किलोमीटर लम्बाई सड़कों का निर्माण कर सड़कों से जोड़ा जा चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है।

22. राज्य के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 0.50 से 2 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को आरसीसी सीमेन्ट कंक्रीट का मय नालियों के निर्माण कर 'ग्रामीण गौरव पथ' के रूप मे विकसित किया जाना है।

प्रथम चरण में 2 हजार 154 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 2 हजार 119 किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण हेतु एक हजार 113 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

23. राज्य में मुख्य जिला सड़कों, अन्य जिला सड़कों व ग्रामीण सड़कों की 4 हजार 237 किलोमीटर लम्बाई में एक हजार 211 सड़कों के कुछ अनुभाग मरम्मत योग्य नहीं है। इन अनुभागों को नवीनीकृत करने हेतु चालू वर्ष में नाबार्ड योजना के तहत 847 करोड़ रुपये लागत के कार्य प्रारम्भ किए जाएंगे।

24. भरतपुर-मथुरा मार्ग पर आरओबी निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सवाई माधोपुर-गंगापुरसिटी, सुकेत-रामगंजमण्डी, कुचामन-मकराना, मनिया-मुरैना, धाबादेह-मोढ़क, फुलेरा व श्री महावीरजी आरओबी निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

25. राज्य सरकार के नीतिगत संकल्प में मुख्य जिला सड़कों को राज्य राजमार्गों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई थी। इसी घोषणा के अनुरूप अब तक एक हजार 94 किलोमीटर लम्बाई में राज्य राज मार्गों की घोषणा कर दी गई है।

26. शुध्द पेयजल आपूर्ति सरकार की प्रथम वरीयता है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नवम्बर, 2014 तक कुल 4 हजार 341 गांव व ढाणियों एवं 923 अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बस्तियों को प्राथमिकता से पेयजल उपलब्ध करवाया गया। इनमें फ्लोराइड व क्षारीय क्षेत्रों की एक हजार 523 गुणवत्ता प्रभावित हैबिटेशन भी शामिल हैं।

27. वर्ष 2014-15 में वार्षिक कार्य योजना के तहत एक हजार 773 गुणवत्ता प्रभावित हैबिटेशन सहित कुल 3 हजार 173 हैबिटेशन को लाभान्वित करने का प्रावधान है।

28. वर्तमान में पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु 25 हजार 976 करोड़ रुपये लागत की कुल 67 वृहद् परियोजनाएं प्रगतिरत हैं, जिससे 208 गांव तथा 891 ढाणियां लाभन्वित की गई हैं।

29. गुणवत्ता प्रभावित हैबिटेशन को तत्काल राहत देने के लिए 1 हजार रिवर्स आसमोसिस (आर.ओ.) प्लान्ट्स के लक्ष्य के विरुद्व 657 आर.ओ. प्लान्ट्स चालू कर शुद्व पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शेष कार्य प्रगति पर हैं।

30. 'भारत साक्षर कार्यक्रम' के अन्तर्गत श्रेष्ठ कार्य करने पर राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण एवं जिला सीकर को अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा 'साक्षर भारत पुरस्कार-2014' प्रदान किया गया है।

31. शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने हेतु वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा के अनुक्रम में विद्यालयों का एकीकरण तथा आदर्श विद्यालयों का गठन किया गया है।

32. तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती हेतु पूर्व में ली जा रही दो परीक्षाओं के स्थान पर REET आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

33. गत वर्ष 8वीं वैकल्पिक बोर्ड परीक्षा, 2014 का आयोजन किया गया। वर्ष 2015 में भी परीक्षा हेतु 10 लाख 11 हजार 30 परीक्षार्थियों द्वारा पंजीकरण करवाया गया है। इसे आगे चलकर अनिवार्य किया जाएगा।

34. राज्य में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने हेतु 4 हजार 988 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है।

35. शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 186 ब्लाक्स में अंग्रेजी माध्यम के स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूलों की स्थापना की जा रही है। वर्ष 2014-15 में 66 स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूलों का संचालन प्रारम्भ किया जा चुका है।

36. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 10 हजार 101 कक्षों, 661 शौचालयों तथा 116 पेयजल सुविधाओं सहित 10 हजार 878 निर्माण कार्यों हेतु 872 करोड़ 59 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई है। इन निर्माण कार्यों में से 447 कार्य पूर्ण कर अब तक 266 करोड़ 60 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं।

37. वर्ष 2014-15 में राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को नकद राशि के स्थान पर साइकिल प्रदान करने के नीतिगत निर्णय के अन्तर्गत लगभग 2 लाख 68 हजार बालिकाओं को साइकिल वितरण सम्बन्धी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

38. राज्य के 70 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईटी एंड आईटीईएस, ब्यूटी एंड वेलनेस, आटो मोबाइल एंड हेल्थ केयर ट्रेड में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

माननीय सदस्यगण!

39. राज्य में उच्च शिक्षा के प्रसार की दृष्टि से वर्ष 2014-15 में 8 राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किए गए तथा 10 राजकीय महाविद्यालयों का पुनर्गठन कर 13 नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान, कला एवं वाणिज्य में स्नातक प्रथम वर्ष में 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाई गई हैं।

40. प्रवेश प्रक्रिया 2014-15 में स्नातक प्रथम वर्ष में 110 राजकीय महाविद्यालयों में आनलाइन एडमिशन प्रोसेस लागू किया गया।

41. 'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना' के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपये राजकीय महाविद्यालयों को आबंटित किए गए। सभी राजकीय महाविद्यालयों में युवाओं को रोजगार की जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु रोजगार प्रकोष्ठ केन्द्र की स्थापना की गई।

42. उदयपुर में इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट के भवन का शिलान्यास किया गया है। इस कार्य के लिये 350 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा रही है।

43. राज्य में तकनीकी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2014-15 में कुल 216 पालिटेक्निक महाविद्यालय संचालित हैं। इनकी कुल प्रवेश क्षमता 6 हजार 80 रही। इसके अतिरिक्त 175 निजी पालिटेक्निक महाविद्यालयों की प्रवेश क्षमता 51 हजार 655 रही।

44. राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा के स्तर में व्यापक सुधार लाने तथा चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए ऐतिहासिक पहल करते हुये एक साथ नये 7 मेडिकल कालेज स्वीकृत कराये गये हैं। अलवर, भरतपुर, चूरू, बाड़मेर, पाली, भीलवाड़ा व डूंगरपुर में मेडिकल कालेज खोले जाने के लिए भूमि चिन्हित कर 68.44 हैक्टेयर भूमि आबंटित कर दी गई है। अलवर के अतिरिक्त सभी मेडिकल कालेजों की डीपीआर भारत सरकार को भिजवा दी गई है।

45. राज्य में 2 नवीन मेडिकल कालेज, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर में 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता का व उदयपुर में निजी क्षेत्र में 150 छात्रों की क्षमता के मेडिकल कालेज प्रारम्भ कर दिये गये हैं। केन्द्र सरकार ने उदयपुर, कोटा और झालावाड़ स्थित मेडिकल कालेजों में एम.बी.बी.एस की 200 अतिरिक्त सीटों के लिए

लगभग 200 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की सिद्धान्त: सहमति प्रदान कर दी है।

46. प्रत्येक मेडिकल कालेज में आपातकालीन भैषज विभाग खोला जा रहा है।

47. मेडिकल कालेज, जयपुर के अधीन इन्स्टीट्यूट आफ ट्रोमालोजी के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

48. इस वर्ष राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर में स्टेट कैंसर संस्थान एवं बीकानेर व झालावाड़ में ट्रशरी कैंसर सेन्टर खोले जाने हेतु आधारभूत संरचना को मूर्त रूप दिया जाएगा।

49. मेडिकल कालेज, बीकानेर, कोटा एवं उदयपुर में सुपर स्पेशलिटी विंग स्थापित करने हेतु निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

50. अजमेर में 2 नये मेडिकल वार्ड, 2 आई.सी.यू. रोग वार्ड, कार्डियोलोजी आई.सी.यू. एवं जोधपुर में मातृ एवं शिशु रोग की चिकित्सा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु नवीन मातृ एवं शिशु विंग एवं बीकानेर एवं जोधपुर के मेडिकल कालेजों में मल्टी डिसीप्लीनरी रिसर्च यूनिट प्रारम्भ कर दी गई है।

माननीय सदस्यगण!

51. प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के तहत वर्ष 2014-15 में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया तथा 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 3 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं।

52. इस वर्ष 42 नये 108-एम्बूलेंस वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं। वर्तमान में कुल 649 वाहन उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त 100 नये 108-एम्बूलेंस वाहन का जिलेवार आबंटन किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में कुल 600 जननी एक्सप्रेस वाहन उपलब्ध हैं।

53. 104 टोल फ्री हेल्प लाइन सेवा का विस्तार करते हुए अब इसके द्वारा लिंग जांच सम्बन्धित शिकायतें एवं कुपोषण के उपचार हेतु आवश्यक जानकारी भी प्राप्त की जा सकेगी।

54. 'मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना' के अन्तर्गत नवम्बर, 2014 तक लगभग 6 करोड़ 40 लाख रोगियों (अन्तरिम) को लाभान्वित किया गया है। इसी तरह 'मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना' के अन्तर्गत

प्रतिदिन लगभग 1 लाख नि:शुल्क जांचें की जा रही हैं एवं दिसम्बर, 2014 तक 5 करोड़ 44 लाख 86 हजार नि:शुल्क जांचें की जा चुकी हैं।

55. राज्य के समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थानों, स्वास्थ्य केन्द्रों, उपकेन्द्रों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर एक नवम्बर, 2014 से नि:शुल्क पेन्टावेलेन्ट टीके की शुरूआत की जा चुकी है। इस टीके से राज्य के लगभग 16 लाख बच्चे प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगे। दिसम्बर, 2014 तक राज्य में 2 लाख 31 हजार 429 बच्चों को यह टीका लगाया जा चुका है।

56. 'जननी शिशु सुरक्षा योजना' के अन्तर्गत अभी तक 30 दिन तक के शिशुओं को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की सीमा बढ़ाकर एक वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए कर दी गई है।

57. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 2014 तक राज्य के 20 जिलों में 223 मोबाइल हेल्थ टीमों द्वारा 8 लाख 45 हजार बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया एवं Defect at Birth, Deficiency Diseases, Development Delays and Disabilities से ग्रस्त 58 हजार 329 बच्चों को चिन्हित कर उनके इलाज की कार्यवाही की गयी।

58. बेटी जन्म को उत्सव के रूप में मनाने के लिये अभिभावकों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित बधाई संदेश दिया जा रहा है। प्रदेश के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले झुन्झुनूं में ऐतिहासिक आयोजन कर ढाई लाख से अधिक लोगों को बेटी बचाओ की शपथ दिलाई गयी।

59. 'शुभलक्ष्मी योजना' के अन्तर्गत 15 अक्टूबर, 2014 से 'ई-शुभलक्ष्मी योजना' को प्रारम्भ किया गया है। इसके तहत् 15 अक्टूबर, 2015 से द्वितीय किस्त की राशि लाभान्वितों के बैंक खाते में सीधे ही स्थानान्तरित कर दी जाएगी।

60. गांवों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यरत 46 हजार 562 आशा सहयोगिनियों को प्रोत्साहन राशि के समयबद्ध भुगतान हेतु आशा साफ्टवेयर तैयार कर दिनांक 7 जनवरी, 2015 से सीधे ही आशाओं के खातों में भुगतान शुरू कर दिया गया है।

61. मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण हेतु एडवाइजरी कमेटी एवं राज्य रजिस्ट्री सेल का गठन कर आनलाइन रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। ब्रेन डेथ कमेटी का गठन एवं ब्रेन डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए समस्त मेडिकल कालेज संलग्न चिकित्सालय तथा अधिकृत निजी चिकित्सालयों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

62. वर्ष 2014 में चिकित्सा अधिकारी के 146 पदों पर नियुक्ति के साथ ही वाक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से 287 चिकित्सकों की नियुक्ति की गयी। फरवरी 2015 में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से चयनित 677 चिकित्सकों को नियुक्ति दी गयी है। डीएसीपी स्कीम के अंतर्गत विभिन्न चिकित्सा संवर्ग के एक हजार 111 चिकित्सकों को पदोन्नत किया गया है।

63. इस वर्ष जनवरी माह में देश भर में स्वाइन फ्लू का व्यापक संक्रमण हुआ। प्रदेश में स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिये व्यापक कार्यवाही की गयी। स्वाइन फ्लू इलाज के लिये सभी चिकित्सालयों में अलग से आउटडोर, जिला अस्पतालों व मेडिकल से सम्बद्ध अस्पतालों में अलग से आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू एवं वेन्टीलेटर्स की व्यवस्थायें की गयीं।

64. स्वाइन फ्लू की नि:शुल्क जांच की व्यवस्था कुछ श्रेणियों के लिये ही थी। स्वाइन फ्लू के प्रसार एवं मंहगी जांच को ध्यान में रखते हुये राजकीय चिकित्सकों के परामर्श पर समस्त नागरिकों के लिये जांच नि:शुल्क कर दी गयी। बिना चिकित्सक के परामर्श के जांच कराने वालों को भी लगभग ढाई हजार लागत की यह जांच मात्र 500 रुपये में की गयी। स्वाइन फ्लू के उपचार के लिये आवश्यक दवाइयां एवं वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गयी। स्वाइन फ्लू के बारे में जनचेतना जाग्रत करने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार गतिविधियां आयोजित की गयीं।

65. भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर का 4 दिवसीय आरोग्य मेला जयपुर में आयोजित किया गया जिसमें 50 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया।

66. आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत राज्य में 3 हजार 695 आयुर्वेद, 192 होम्योपैथी, 132 यूनानी, 6 योग व प्राकृतिक

चिकित्सा पद्धति के चिकित्सालय व औषधालय तथा 7 आयुर्वेद मोबाइल यूनिट चिकित्सा सेवा उपलब्ध करा रही है। प्रदेश की नई आयुष नीति बनायी जा रही है।

67. विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु 25 पंचकर्म केन्द्र तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संरक्षण व मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से 20 आंचल प्रसूता केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया गया व 57 भ्रमणशील चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए।

68. आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा स्वरोजगार उत्पादन हेतु एक वर्षीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा तथा एक वर्षीय पंचकर्म तकनीकी सहायक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया। साथ ही त्रैमासिक पंचकर्म, क्षारसूत्र व जरा रोग सर्टिफिकेशन कोर्स प्रारम्भ किया गया है।

69. टोंक में 60 बैडेड यूनानी चिकित्सालय तथा नशामुक्ति केन्द्र प्रारम्भ किया गया है। प्रदेश में 7 जरावस्था निवारण केन्द्र स्थापित किए गए व 10 जिला मुख्यालय पर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है। केलवाड़ा, बारां में नवीन रसायनशाला प्रारम्भ की गई तथा नाहरगढ़, बारां में 20 हैक्टेयर भूमि पर वनौषधि उद्यान विकसित किया जा रहा है।

माननीय सदस्यगण!

70. राज्य सरकार औद्योगिकरण को गति देने एवं राज्य में निवेश का अनुकूल वातावरण बनाने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 जारी की गई है। यह योजना 31 मार्च, 2019 तक प्रभावी है। इस योजना में राज्य के पिछड़े भौगोलिक क्षेत्रों, थर्स्ट सेक्टर्स यथा सिरेमिक ग्लास, डेयरी, एमएसएमई, इलेक्ट्रोनिक्स सिस्टम डिजाइन मैन्यूफैक्चरिंग, फार्मास्युटिकल्स, प्लास्टिक टू आयल मैन्यूफैक्चरिंग, पावरलूम, टैक्सटाइल, टूरिज्म एवं इण्डस्ट्रियल गैसेज क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

71. वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में व्यापार संवर्द्धन हेतु 29 से 31 अक्टूबर, 2014 को जयपुर में "वस्त्र-2014" आयोजित किया गया। इसमें 80 मिलियन डालर का व्यवसाय हुआ।

72. इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्र के विकास के लिए सालारपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिवाड़ी में इलेक्ट्रोनिक क्लस्टर के लिए 101 एकड़ भूमि का प्रावधान

किया गया है। इसी तरह सिरेमिक एवं ग्लास सेक्टर के विकास के लिए घिलोट औद्योगिक क्षेत्र के नीमराना में 750 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है एवं 9 दिसम्बर, 2014 को इनवेस्टर मीट का आयोजन कर निवेश हेतु इच्छुक उद्यमियों द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं।

73. मैसर्स होण्डा कार्स निर्माण संयंत्र का टपूकड़ा में 24 फरवरी, 2014 को, हीरो मोटोकार्प मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट, नीमराना का 21 अक्टूबर, 2014 को, मैसर्स सेन्ट गोबेन के प्रोडक्शन प्लांट, करणी-भिवाड़ी का 27 अक्टूबर, 2014 को व जे.सी.बी. इण्डिया लिमिटेड के मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट का महिन्द्रा एसईजेड में 14 नवम्बर, 2014 को उद्घाटन किया गया। इनमें लगभग 3 हजार करोड़ का निवेश व 4 हजार लोगों को रोजगार मिलना सम्भावित है।

74. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 के तहत आगामी वर्ष में आवेदन पत्रों को आनलाइन प्राप्त करने की व्यवस्था की जाएगी। घीलोट (नीमराना), करौली (टपूकड़ा विस्तार), कल्डवास विस्तार (उदयपुर), श्रीनगर (अजमेर), करौली (अलवर), 13 एलएनपी (हनुमानगढ़ रोड), कोलीला जोगा (नीमराना), बीजोलिया (भीलवाड़ा), धानोदी (झालावाड़), सांवर (अजमेर) व रानपुर विस्तार (कोटा) में नये औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। उद्योगों को तत्काल भूमि की उपलब्धता हेतु लैण्ड बैंक बनाया जाएगा।

75. दक्षता प्रशिक्षण संस्थान के भवन का भिवाड़ी में सीआईआई के सहयोग से 10 हजार 294 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा।

76. प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये सीआईई पार्टनशिप सम्मिट का आयोजन किया गया।

77. राज्य में निवेष को आमंत्रित करने के लिए रिसर्जेन्ट राजस्थान का नवम्बर, 2015 में आयोजन किया जाएगा। एकल खिड़की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा और आनलाइन पेमेंट की व्यवस्था की जाएगी।

78. बेहतर प्रबन्धन एवं संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 2014 में पृथक् विभाग स्थापित कर डीएमआईसी कोरिडोर में उद्योग व निवेश के योजनाबद्ध विकास हेतु राजस्थान स्पेशल इन्वेस्टमेन्ट रीजन अध्यादेष-2014 का प्रारूप तैयार किया गया है।

79. भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011 के तहत डीएमआईसी परियोजना के अन्तर्गत राज्य में विकसित किए जा रहे खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र एवं जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को हाल ही में राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण जोन के रूप में घोषित कर दिया गया है। खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एनवायरमेन्ट स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा भूमि अवाप्ति हेतु रीको के मार्फत स्ट्रक्चर सर्वे की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है।

80. अलवर जिले में प्रस्तावित हवाई अड्डा परियोजना हेतु एयरपोर्ट आथोरिटी आफ इण्डिया द्वारा साइट स्वीकृति के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय व रक्षा मंत्रालय में डीएमआईसीडीसी की ओर से आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है।

81. लघु उद्योग, खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग ने राज्य में उत्प्रेरक एवं उद्यम सहायक की भूमिका निभाते हुए दिसम्बर, 2013 से नवम्बर, 2014 तक 22 हजार 451 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा प्रस्तुत उद्यमिता ज्ञापनों की अभिस्वीकृतियां जारी की हैं। इनमें 2 हजार 876 करोड़ 29 लाख रुपये का पूंजी निवेश एवं एक लाख 14 हजार 606 व्यक्तियों को सीधा रोजगार प्राप्त हुआ है।

82. राज्य सरकार ने श्रम सुधार के क्षेत्र में अभिनव पहल की है। प्रदेश के श्रम सुधारों की देशभर में प्रशंसा हुई है

83. राज्य सरकार ने श्रमिकों के हित एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुये न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है। पेंशन आनलाइन की गयी है।

84. श्रम विभाग के कार्यों के कम्प्यूटराइजेशन का प्रोजेक्ट लेबर डिपार्टमेन्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम सभी जिला कार्यालयों के लिए तैयार किया गया है, जो लागू किए जाने हेतु तैयार है।

85. वर्तमान सरकार ने अपने सुराज संकल्प में 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे ध्यान में रखते हुये विभिन्न विभागों में वर्षों से लम्बित रिक्तियों को भरने के मार्ग में आ रहे अवरोध को दूर कर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है।

86. कौशल मिशन के तहत ग्राम सभाओं में युवाओं का चयन कर उन्हें कौशल सर्वधन पाठ्यक्रमों से जोड़कर वजीफा दिया जा रहा है।

स्वरोजगार आधारित डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। इनमें आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा पंचकर्म, योग व प्राकृतिक चिकित्सा सहित अन्य पाठ्यक्रम शामिल है।

87. प्रदेश के युवाओं को आजीविका एवं कौशल विकास के व्यापक अवसर उपलब्ध हो सके इस उद्देश्य से आरमोल को पुनर्जीवित कर 13 दिसम्बर, 2013 से 15 जनवरी, 2015 तक प्रदेश के 47 हजार 958 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

88. निगम द्वारा राज्य में 90 से अधिक कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर 18 से 35 वर्ष के पात्र युवाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम नि:शुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विभिन्न ट्रेडों में 173 कौशल पाठयक्रमों को सम्मिलित कर प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

89. भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं राज्य सरकार की संयुक्त कौशल प्रशिक्षण परियोजना 'पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना' का जुलाई, 2014 से शुभारम्भ किया गया एवं 43 एजेन्सियों के साथ 17 जुलाई और 7 अगस्त, 2014 को कौशल प्रशिक्षण हेतु एमओयू किए गए। परियोजना की लागत 398 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के तहत 200 प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

90. प्रदेश की महिलाओं, युवाओं एवं विशेष योग्यजन के स्वरोजगार व कौशल विकास हेतु तीन योजनाएं नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ की जा चुकी हैं। शहरी बेरोजगार युवाओं के रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु स्थानीय निकाय विभाग द्वारा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के माध्यम से 66 करोड़ रुपये की लागत से 40 हजार से अधिक युवाओं की प्रशिक्षण योजना प्रारम्भ की गई है।

91. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा संचालित रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में चल रहे 49 प्रशिक्षण केन्द्रों के अतिरिक्त आगामी एक वर्ष में अनुमानित 150 नये केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इन 200 केन्द्रों के द्वारा सम्भावित एक हजार 800 कोर्सेज का संचालन किया जाएगा।

92. अक्षत कौशल योजना, 2009 के शुरू होने की तिथि से 30 नवम्बर, 2014 तक 17 हजार 295 बेरोजगारों को कौशल वाउचर वितरित कर लाभान्वित किया गया। राजस्थान बेरोज़गारी भत्ता योजना, 2012 के शुरू होने की तिथि से 30 नवम्बर, 2014 तक 73 हजार 331 पात्र स्नातक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देकर लाभान्वित किया गया।

93. कारखाना एवं बायलर्स विभाग में जनवरी 2014 से नवम्बर, 2014 तक 407 नये कारखाने एवं 197 नये बायलरों का पंजीयन किया गया। इनमें लगभग 19 हजार 932 श्रमिकों को रोजगार मिला।

माननीय सदस्यगण!

94. विशेष योग्यजनों, वृद्धजनों एवं विधवाओं के लिए संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत राज्य में राष्ट्रीय एवं राज्य पेंशन योजनाओं के तहत 57 लाख 92 हजार व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2014-15 में पेंशन योजनाओं हेतु 3 हजार 364 करोड़ 28 लाख रुपये का प्रावधान है। पालनहार योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में 74 करोड़ 97 लाख 23 हजार रुपये का व्यय कर 10 लाख 8 हजार 657 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

95. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक विकास हेतु संचालित, छात्रावासों एवं मूक-बधिर, नेत्रहीन एवं विमंदित हेतु वर्तमान में 699 राजकीय एवं 82 अनुदानित कुल 781 छात्रावास संचालित हैं, जिनमें 31 हजार 947 छात्र-छात्राएं रह रहे हैं।

96. देवनारायण योजनान्तर्गत विशेष पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न शैक्षणिक विकास कार्यक्रमों एवं विकास कार्यों पर वर्ष 2014-15 में 170 करोड़ 80 लाख रुपये के प्रावधान के विरुद्ध नवम्बर, 2014 तक 58 करोड़ 20 लाख रुपये व्यय किया जा चुका है। राईस के अधीन 17 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है।

97. अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के पात्र छात्र-छात्राओं को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 474 करोड़ 34 लाख रुपये व्यय कर 6 लाख 58 हजार 565 छात्र-छात्राओं को मार्च, 2014 तक लाभान्वित किया गया। वर्ष 2014-15 के लिए 531

करोड़ 2 लाख रुपये का प्रावधान के विरुद्ध नवम्बर, 2014 तक 210 करोड़ 93 लाख रुपये का व्यय कर एक लाख 82 हजार छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

98. जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से 289 आश्रम छात्रावासों का संचालन कर 17 हजार 434 छात्र-छात्राओं को तथा 19 आवासीय विद्यालयों के माध्यम से 4 हजार 551 छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है। अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र तथा सहरिया एवं कथौड़ी परिवार के 32 हजार 670 बालक-बालिकाओं को 1 हजार 089 मां-बाड़ी केन्द्रों में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

99. कृषि विकास कार्यक्रम के माध्यम से खरीफ में 3 लाख 28 हजार 800 बी पी एल जनजाति परिवारों को लाभान्वित किया गया।

100. प्रदेश के 22 हजार 500 सहरिया परिवारों एवं 1 हजार 200 कथौड़ी परिवारों को प्रतिमाह 2 किलो दाल, 2 लीटर तेल व 1 लीटर देशी घी नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। सहरिया क्षेत्र के प्राथमिकता एवं माध्यमिक विद्यालयों में 14 हजार 959 अध्ययनरत बालकों को पोषक आहार, पुस्तकें व स्टेशनरी प्रदान कर लाभान्वित किया गया है।

101. भामाशाह योजना के अन्तर्गत आयोजित शिविरों में विशेष योग्यजनों का राज्य स्तर पर विशेष कैम्प आयोजित कर चिह्नित विशेष योग्यजनों का प्रमाणीकरण किया जाएगा व कृत्रिम अंग व उपकरण वितरित किए जाएंगे।

102. विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में नवम्बर, 2014 तक 53 लाख 90 हजार रुपये व्यय कर एक हजार 273, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 2 करोड़ 86 लाख 37 हजार रुपये व्यय कर 572 तथा सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के अन्तर्गत 68 लाख रुपये व्यय कर 272 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया है। इसी तरह संयुक्त सहायता अनुदान योजना के अन्तर्गत 22 लाख 24 हजार रुपये व्यय कर 370 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया जा चुका है।

103. महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण हमारी प्राथमिकता है। बाल विवाह की रोकथाम एवं सामूहिक विवाहों के प्रोत्साहन हेतु सामूहिक विवाह अनुदान योजना अन्तर्गत 12 हजार 500 रुपये प्रति जोड़ा राशि अनुदान के रूप में दी जा रही है।

104. महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दृष्टि से राज्य में अब तक 2 लाख 44 हजार से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है, इनमें से 1 लाख 88 हजार समूहों को वित्तीय संस्थाओं से 749 करोड़ 44 लाख रुपये के ऋण दिलवाए जा चुके हैं। स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ऋण पर देय ब्याज की 50 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

105. राजस्थान नालेज कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को नि:शुल्क बेसिक कम्प्यूटर कोर्स प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। अब तक 1 लाख 72 हजार महिलाएं एवं बालिकाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं।

106. वर्तमान में राज्य में 304 बाल विकास परियोजनाएं व 61 हजार 119 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। इनमें से सभी 304 परियोजनाएं और 60 हजार 68 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इन संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 6 माह से 3 वर्ष के 18 लाख 10 हजार 222 बच्चे, 3-6 वर्ष के 10 लाख 21 हजार 295 बच्चे, गर्भवती व धात्री 9 लाख 8 हजार 590 व 6 लाख 61 हजार 756 किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार से लाभान्वित किया जा रहा है तथा शाला पूर्व शिक्षा से 3-6 वर्ष के 10 लाख 26 हजार 962 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

107. अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 में 18 हजार 336 छात्र-छात्राओं को उत्तर मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति स्वीकृत करने का लक्ष्य है। वर्ष 2014-15 में एक हजार 900 प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह के आधार पर स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से 28 छात्रावास संचालन की अनुमति प्रदान की गई। राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारम्भिक परीक्षा हेतु नि:शुल्क कोचिंग करवाई गई है।

108. कब्रिस्तानों में 1 करोड़ 35 लाख रुपये के मरम्मत सुधार कार्य, वक्फ भूमियों पर 103 निर्माण कार्य करवाये गये।

109. मदरसा शिक्षा के प्रसार के लिए वर्ष 2014-15 में 16 नये मदरसे पंजीकृत किए गए एवं 40 मदरसे उच्च प्राथमिक श्रेणी में क्रमोन्नत किए गए हैं।

110. राज्य सरकार प्रदेश में कृषि उत्पादनों एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए

कटिबद्ध है। इस दृष्टि से मुख्य रूप से चार मिशन-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पांम मिशन, नेशनल मिशन आन एग्रीकल्चर एक्स्टेंशन एण्ड टेक्नोलाजी, नेशनल मिशन आन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ विभागीय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

111. रबी 2013-14 में राज्य के 21 जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत अनुमानित 425 करोड़ 40 लाख रुपये के मुआवजे का भुगतान कर 15 लाख 80 हजार 268 कृषकों को लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार रबी 2013-14 में राज्य के बारह जिलों में लागू की गई संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत 85 करोड़ 44 लाख रुपये के मुआवजा का भुगतान कर 2 लाख 55 हजार 468 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

112. राज्य में यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वर्ष 2014-15 में सहकारी व निजी क्षेत्र के आदान विक्रेताओं के माध्यम से दिसम्बर, 2014 तक 13 लाख 49 हजार मैट्रिक टन यूरिया, 4 लाख 96 हजार मैट्रिक टन डीएपी एवं 3 लाख मैट्रिक टन एसएसपी का वितरण किया गया है।

113. वर्ष 2014 में किसानों को खरीफ सीजन में 6 लाख 6 हजार क्विंटल बीज वितरण किया गया तथा रबी 2014-15 में 13 लाख 75 हजार क्विंटल प्रमाणित एवं उन्नत बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया। इसके अतिरिक्त खरीफ, 2014 में कुल 32 हजार 500 बाजरा चारा बीज मिनिकिट्स का वितरण किया गया।

114. उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही एवं प्रतापगढ़ जिलों के जनजाति एवं गैर-जनजाति बी पी एल काश्तकारों को एवं बारां जिले के किशनगंज एवं शाहबाद तहसील के सहरिया जनजाति कृषकों को खरीफ, 2014 में कुल 40 हजार 796 क्विंटल संकर मक्का बीज नि:शुल्क वितरित कर कुल 8 लाख 16 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया।

115. देश के प्रथम जैतून तेल शोधन संयंत्र की बीकानेर जिले के लूणकरणसर में स्थापना की जाकर अब तक 8 हजार लीटर तेल का शोधन किया जा चुका है। राज्य में एक हजार 90 ग्राम पंचायत मुख्यालयों तथा 189 पंचायत समिति मुख्यालयों पर किसान केन्द्रों का निर्माण किया जा चुका है।

116. कृषि विपणन विभाग को वर्ष 2014-15 में नवम्बर तक मण्डी शुल्क से 360 करोड़ 34 लाख रुपये की आय हुई है। वर्ष 2014-15 में नवम्बर तक 283 करोड़ 39 लाख रुपये के निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

117. राज्य की 16 मण्डियों में जहां सरसों बहुतायत में आती है आधुनिक आयल टेस्टिंग लैब की स्थापना की गई है। इसकी सुविधा मण्डी में आने वाले किसानों को नि:शुल्क दी जा रही है।

118. जयपुर स्थित ज्योतिबा फुले फल सब्जी मण्डी, मुहाना के प्रांगण में पृथक् से पुष्प मण्डी प्रांगण की स्थापना की गई है। विभाग द्वारा कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में किसान की मृत्यु होने पर देय सहायता राशि को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जा चुका है। वर्ष 2014-15 नवम्बर तक इस योजना के अन्तर्गत एक हजार 922 किसानों के आश्रितों व किसानों को 12 करोड़ 30 लाख 44 हजार रुपये की सहायता दी गई है।

119. राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 2014-15 में 215 करोड़ रुपये के प्रावधान के विरुद्ध नवम्बर, 2014 तक 155 करोड़ 50 लाख रुपये के निर्माण कार्य करवाए गए। वर्ष 2015-16 हेतु मण्डी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए 230 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

120. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत भवानीमण्डी एवं बाड़मेर में 8 हजार मैट्रिक टन क्षमता के दो कोल्ड स्टोरेज के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। इनके निर्माण पर एक करोड़ 7 लाख 52 हजार रुपये व्यय हुए हैं। इसी योजना के अन्तर्गत 54 लाख 71 हजार रुपये की लागत से भवानीमण्डी में वैक्सिंग यूनिट का कार्य पूर्ण हो चुका है।

माननीय सदस्यगण!

121. सहकारिता के तहत शून्य ब्याज पर अल्पकालीन ऋण देने की नीति जारी रखी गयी। किसानों को वर्ष 2014-15 में 16 हजार करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण वितरित करने के लक्ष्य के विरुद्ध केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा दिसम्बर, 2014 तक 13 हजार 941 करोड़ 87 लाख रुपये के अल्पकालीन ऋण वितरित किए गए हैं। इसी अवधि में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से 339 करोड़ 71 लाख रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरण के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर,

2014 तक 166 करोड़ 75 लाख रुपये के ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

122. राज्य में एक जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2014 तक कुल 48 नये राजस्व ग्राम घोषित करने के बाद अब कुल 45 हजार 494 राजस्व ग्राम हैं। राजस्व मण्डल में विभिन्न राजस्व अधिनियमों के तहत 01 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2014 तक कुल 7 हजार 726 प्रकरण दर्ज हुए तथा 5 हजार 658 प्रकरणों का निस्तारण हुआ है।

123. काश्तकारों से नामान्तरकरण, सीमाज्ञान एवं सहमति से विभाजन हेतु सीएससी, ई-मित्र से आवेदन आनलाइन प्राप्त कर समय पर निस्तारण किए जाने के सम्बन्ध में नई व्यवस्था लागू की गई है। विभिन्न नागरिक समस्याओं के तात्कालिक समाधान यथा विरासत के नामन्तरकरण तथा नवीन राजस्व ग्रामों का गठन आदि के निस्तारण हेतु अक्टूबर, 2014 में ग्रामवार जमाबन्दी के पठन तथा 31 दिसम्बर, 2014 तक निस्तारण हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

124. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन नियमों में संशोधन कर सोलर एवं पवन ऊर्जा हेतु संपरिवर्तन कराने से मुक्त किया गया है तथा इस उद्देश्य हेतु लीज पर देने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संशोधन किया गया है। अब कोई काश्तकार 30 वर्षों की अवधि तक सोलर या पवन ऊर्जा हेतु अपनी भूमि को लीज पर दे सकता है व आगे 10 वर्ष तक इस अवधि को और बढ़ा सकता है।

125. राज्य में आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा विण्ड पावर के 4 प्रोजेक्ट्स को 2 हजार 758.47 हैक्टेयर एवं सोलर पावर के 14 प्रोजेक्ट्स के लिए एक हजार 533.29 हैक्टेयर भूमि का आबंटन किया गया है।

126. राज्य में पटवारियों के 1 हजार 400 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु सीधी भर्ती पटवार प्रतियोगिता आयोजित करने की स्वीकृति जारी की गई है, जिनकी भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी।

127. भूमि अधिग्रहण कानून में आवश्यक सुधार कर बेहतर भू-मुआवजा दिये जाने का प्रावधान किया जा रहा है।

128. राज्य की एक हजार 161 वीरांगनाओं को विशेष पहचान कार्ड जारी कर दिए गए हैं। युवाओं को सेना व अर्द्ध सेना में उच्च पदों पर भर्ती हेतु आकृष्ट करने के लिए सरकार की ओर से सेना के साथ मिलकर चूरू में अकादमी स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

129. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के साथ बी पी एल परिवारों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ग्रामीण आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में दिसम्बर, 2014 तक कुल एक लाख 70 हजार आवासों का निर्माण किया गया है एवं इस हेतु 931 करोड़ 12 लाख रुपये व्यय किए गए हैं।

130. डांग, मगरा, मेवात योजना के अन्तर्गत 300 करोड़ रुपये एवं कुल रुपये 900 करोड़ की बजट घोषणा की गई है। जिन गांवों में पिछले 5 वर्षों में योजनान्तर्गत एक भी कार्य स्वीकृत नहीं हुआ, उन्हीं गांवों में कार्य स्वीकृत करने को प्राथमिकता दी गई है।

131. श्रीयोजना के 5 घटक यथा स्वच्छता, चिकित्सा सुविधाएं एवं स्वच्छ पेयजल, ग्रामीण आन्तरिक सम्पर्क सड़क, शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र में रोशनी इत्यादि की व्यवस्था के कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। समग्र ग्राम विकास की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए 5 हजार से अधिक आबादी वाले गांव एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय में समस्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप्स का चिन्हीकरण करते हुए प्रोस्पेक्टिव प्लान तैयार किया जा रहा है।

132. विश्व बैंक एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना का क्रियान्वयन 18 जिलों के 51 खण्डों में किया जाना है। परियोजना की कुल लागत 870 करोड़ रुपये है।

133. आईफैड द्वारा वित्त पोषित पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना 6 जिलों के 6 खण्डों में संचालित की जा रही है। परियोजना की कुल लागत 295 करोड़ रुपये है।

134. विश्व बैंक द्वारा संपोषित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना का क्रियान्वयन 7 ब्लाक में किया जाना है। परियोजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में 27 करोड़ 1 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

135. केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन राज्य के अन्य समस्त जिलों में किया जाना है। परियोजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में 35 करोड़ 36 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

136. इन चारों परियोजनाओं में अब तक 24 हजार महिला स्वयं सहायता समूह बनाए जा चुके हैं, जिनसे 3 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।

माननीय सदस्यगण !

137. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर दो दशक के बाद राज्य में 47 पंचायत समितियां नवसृजित, 64 पंचायत समितियां पुनर्गठित तथा 723 ग्राम पंचायतें नवसृजित, एक हजार 423 ग्राम पंचायतें पुनर्गठित की गई हैं।

138. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यथा जिला परिषद या पंचायत समिति के सदस्य के मामले में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान या उसके समकक्ष किसी बोर्ड से कक्षा 10 उत्तीर्ण हो, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम पंचायत सरपंच के मामले में किसी विद्यालय से कक्षा 5 उत्तीर्ण हो एवं अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न ग्राम पंचायत के सरपंच के मामले में किसी विद्यालय से कक्षा 8 उत्तीर्ण हो निर्धारित की गई है।

139. पंचायती राज संस्थाओ के चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी के घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय हो एवं परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं जाए, की अनिवार्यता लागू की गई है।

140. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत इस वर्ष 28 लाख 98 हजार शौचालय बनाने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक लगभग 31 लाख शौचालय निर्माण की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं, जिसमें से 7 लाख 28 हजार शौचालयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है व 772 ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है। सभी जिलों में कुल उपलब्ध राशि 6 हजार 418 करोड़ 22 लाख रुपये के विरुद्ध दिसम्बर, 2014 तक 3 हजार 898 करोड़ 89 लाख रुपये व्यय कर 2 लाख से अधिक कार्य पूर्ण करवाए गए हैं।

141. राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को इन्टरनेट से जोड़ने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में लैण्डलाइन टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृत कर स्थापित किए जा रहे हैं।

142. 'मिड-डे-मील योजना' का क्रियान्वयन राज्य के 85 हजार 273 समस्त राजकीय, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों, शिक्षा गारन्टी केन्द्रों, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत संचालित संस्थानों तथा मदरसों में किया जा रहा है। प्रदेश में 76 हजार 977 राजकीय विद्यालयों में रसोई घरों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है व 49 हजार 919 विद्यालयों में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। गैस कनेक्शन की सुविधा 47 हजार 192 विद्यालयों में उपलब्ध कराने हेतु 21 करोड़ 24 लाख रुपये की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2014-15 में जारी कर दी गई है।

143. प्रदेश में संरक्षण एवं संवर्द्धन की दृष्टि से ऊंट को राजकीय पशु घोषित किया गया है। राजस्थान ऊष्ट्र वंशीय पशु (वध एवं प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन एवं निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2014 तैयार किया जा रहा है।

144. प्रदेश के गो-भैंस वंशीय पशुओं को एफ.एम.डी. (खुरपका एवं मुँहपका रोग) रोग से मुक्त किए जाने के लिए टीकाकरण का राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।

145. पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के माध्यम से प्रदेश के देशी गोवंश साहीवाल नस्ल के फार्म की स्थापना की गई है। वर्ष 2014-15 में प्रदेश के 5 जिलों में एक पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है।

146. प्रदेश में गोपालन मंत्रालय की पृथक् से स्थापना के साथ गोसेवा निदेशालय, राजस्थान का नाम परिवर्तित कर निदेशालय गोपालन राजस्थान करने का निर्णय लिया गया है।

147. राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन लिमिटेड एवं इससे सम्बद्ध 21 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा वर्ष 2014-15 में नवम्बर तक औसतन 22 लाख 26 हजार किलोग्राम प्रति दिवस दुग्ध संकलित कर औसतन 18 लाख 89 हजार लीटर प्रति दिवस दुग्ध विक्रय किया गया।

148. इसी अवधि में राज्य के दुग्ध उत्पादकों को औसतन 590 रुपये प्रति किलोग्राफ फैट दर से भुगतान कर नवम्बर, 2014 तक 1773 करोड़ 24 लाख रुपये का भुगतान किया गया, जो गत वर्ष की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक है। यह दर भारत में सहकारी क्षेत्र की डेयरियों द्वारा दुग्ध उत्पादकों को प्रदत्त सर्वाधिक दुग्ध दरों में से एक है।

माननीय सदस्यगण !

149. राज्य में अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प आय वर्ग हेतु अगले वर्ष में करीब 15 हजार नये आवासों के निर्माण की योजना है।

150. राजस्थान आवासन मण्डल का आगामी पांच वर्षों में 40 हजार से अधिक आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। इसमें से 60 प्रतिशत से अधिक आवास आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प आय वर्ग के लिए होंगे। भविष्य में पूर्ण राजस्थान में आनलाइन आवेदन की व्यवस्था की जाएगी।

151. प्रदेश में 184 स्थानीय निकायों में से 182 स्थानीय निकायों के मास्टर प्लान राज्य सरकार से अनुमोदित हैं। करौली एवं भीलवाड़ा के संशोधित मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

152. जयपुर की पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास हेतु डवलपमेन्ट प्लान तैयार किया गया है। वर्ष 2014 में कुल 141 नियमन कैम्प आयोजित कर 7 हजार 973 पट्टे जारी किए गए एवं इनमें 56 करोड़ 45 लाख रुपये की राशि जमा हुई।

153. वर्षों से लम्बित जयपुर की रिंग रोड योजना की राह में आ रहे अवरोधों को दूर कर रिंग रोड बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास प्रारम्भ किये। जयपुर रिंग रोड परियोजना (दक्षिणी भाग) यथा आगरा रोड-टोंक रोड-अजमेर रोड की कुल लम्बाई 47 किलोमीटर तथा कुल लागत 890 करोड़ रुपये है। इसका निर्माण डीबीएफओटी के आधार पर किया जा रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत 360 मीटर चौड़ाई में भूमि आवाप्त कर अवार्ड जारी किया गया है।

154. जयपुर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्राधिकरण क्षेत्र में पूर्व में निर्मित सर्किलों की स्थिति का अध्ययन कर उन्हें हटाया या छोटा किया जा रहा है। विकास प्राधिकरण द्वारा प्रापर्टी नीलामी को

सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से 24 जुलाई, 2014 से आनलाइन 'ई-आक्शन' प्रारम्भ किया गया है।

155. भारत सरकार द्वारा राजस्थान में अजमेर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु चयन किया गया है। इसकी सम्पूर्ण कार्य योजना तथा विजन डाक्यूमेंट तैयार करने हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

156. जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज-1ए के अन्तर्गत मानसरोवर से चांदपोल तक बकाया कार्यों, विशेष तौर से मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश व निकास मार्गों का निर्माण व स्टेशनों के फिनिशिंग कार्यों को गति प्रदान कर पूर्ण कराया जा रहा है। सभी सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त जयपुर मेट्रो का वाणिज्यिक संचालन मार्च, 2015 में आरम्भ होना सम्भावित है।

157. इस परियोजना के फेज-1बी के अन्तर्गत चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक 2.3 किलोमीटर की लम्बाई में भूमिगत मेट्रो का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 1 हजार 126 करोड़ रुपये है।

158. नगर निगम, नगर परिषद् तथा नगरपालिकाओं के मेयर, सभापति तथा अध्यक्ष को नियमों में संशोधन कर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाने का निर्णय लिया गया। नवम्बर, 2014 के निकाय चुनाव संशोधित प्रावधानों के अन्तर्गत कराए गए। भरतपुर को नगर निगम तथा रूपवास व किशनगढ़ बास, ईटावा को नगरपालिका घोषित कर दिया गया है।

159. बाड़मेर में रेलवे क्रोसिंग 323 पर नेशनल हाइवे संख्या-15 पर 23 करोड़ रुपये के व्यय से दो लेन रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है। झालावाड़ शहर में सिटीवाल गेट्स गढ़ पैलेस एवं फोर्ट में 2 करोड़ 25 लाख रुपये के व्यय से विकास कार्य, राजसमन्द शहर में ठोस कचरा प्रबन्ध हेतु लैण्डफिल साइट का लगभग 1 करोड़ रुपये व्यय कर निर्माण, सीकर शहर में झुन्झुनूं बाइपास से बस स्टैण्ड तक लगभग 10 करोड़ 67 लाख रुपये के व्यय से 4 किमी फोरलेन सड़क का निर्माण और नागौर शहर में 16 करोड़ 17 लाख 49 हजार रुपये की लागत से लगभग 16 किलोमीटर सीवर लाइन का कार्य पूर्ण किया गया।

160. भारत सरकार की विकेन्द्रीकृत खरीद योजना के अन्तर्गत राज्य के अलवर जिले में रबी विपणन वर्ष 2014-15 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 21 लाख 59 हजार मैट्रिक टन गेहूं की रिकार्ड खरीद की गई, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 150 रुपये प्रति क्विंटल के घोषित बोनस के पेटे 323 करोड़ 83 लाख रुपये का किसानों को समर्थन मूल्य के अतिरिक्त भुगतान किया गया।

161. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत राज्य के 94 प्रतिशत उपभोक्ताओं को डिजिटाइज्ड राशनकार्ड तैयार कर वितरित किए गए। आगामी वर्ष से नये डिजिटाइज्ड राशनकार्ड बनाने, राशनकार्डों में नाम जोड़ने व हटाने तथा अशुद्धियां दूर करने का कार्य कामन सर्विस सेन्टर तथा ई-मित्र के माध्यम से आनलाइन कराया जाना प्रस्तावित है।

162. उचित मूल्य की दुकानों को 'अन्नपूर्णा भण्डार' के रूप में विकसित कर उच्च गुणवत्तायुक्त मल्टीब्राण्ड वस्तुएं उचित दर पर उपभोक्ताओं को सुलभ कराई जाएगी। इस हेतु राज्य में 5 हजार दुकानों का चिह्निकरण किया जा चुका है।

163. प्रदेश में वर्ष 2015 सड़क सुरक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। सड़क सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। यातायात नियमों की कड़ाई से पालना कराई जाएगी। आटोमेटड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स का निर्माण व वाहन चालकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने हेतु आधुनिक मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे।

164. जिला परिवहन कार्यालय शाहपुरा-भीलवाड़ा, दूदू एवं केकड़ी तथा उप परिवहन कार्यालय रेलमगरा, नावां, भवानीमण्डी एवं देवली प्रारम्भ कर दिए गए हैं। सभी प्रादेशिक एवं जिला परिवहन कार्यालयों में स्मार्ट कार्ड पर ड्राइविंग लाइसेन्स एवं वाहन पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करना प्रारम्भ कर दिया गया है। 'वाहन' साफ्टवेयर के माध्यम से वाहन पंजीयन का कार्य एवं 'सारथी' साफ्टवेयर योजना के माध्यम से लाइसेंस जारी करने का कार्य सभी परिवहन कार्यालयों में प्रारम्भ कर दिया गया है।

165. राजस्थान की बहुरंगी संस्कृति एवं पर्यटन स्थल देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र रहे हैं। पर्यटन विकास की राज्य

योजनान्तर्गत कलेर, उदयपुर में 10 लाख रुपये के विकास कार्य करवाए गए तथा बाड़ी मानसरोवर, उदयपुर हेतु 20 लाख रुपये की स्वीकृति से ईको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जा रहा है। सांभर के वृहद् विकास कार्यों हेतु वर्ष 2014-15 में 37 करोड़ 65 लाख रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है। इन परियोजना की कार्यकारी एजेंसियों को 11 करोड़ 30 लाख रुपये उपलब्ध करवा दिए गए हैं। चूरू व जयपुर में विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितम्बर के अवसर पर हैरिटेज वाक प्रारम्भ कर दी गई है।

166. पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2014-2015 में लगभग 12 मुख्य मेले-त्यौहार व लगभग 11 अन्य पारम्परिक, धार्मिक मेले-त्यौहार एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विभाग को दिसम्बर, 2013 से दिसम्बर, 2014 तक राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मार्टस में 12 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

माननीय सदस्यगण !

167. राजस्थान विभिन्न लोक कलाओं, संग्रहालयों, स्मारकों एवं कला पुरासम्पदा से समृद्ध है। वर्तमान में राज्य में 17 राजकीय संग्रहालय, एक कला दीर्घा, 334 स्मारक व 44 पुरास्थल संरक्षित हैं। सवाई माधोपुर स्थित मोरा सागर बांध, ढील बांध व गिलाई सागर बांध स्थित 3 रेस्ट हाउसों को 18 जुलाई, 2014 को संरक्षित घोषित किया गया है।

168. प्रदेश में स्थित ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों हेतु 'राजस्थान धरोहर, संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण' का गठन किया जा चुका है। राणा सांगा पैनोरमा, खानवा, भरतपुर, कमलेश्वर महादेव मंदिर, इन्द्रगढ़ बून्दी एवं संग्रहालय माउण्ट आबू, सिरोही में संरक्षण एवं विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। संग्रहालय मण्डोर, जोधपुर एवं भरतपुर में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। प्राधिकरण द्वारा आउवा, पाली में स्वतंत्रता संग्राम पैनोरमा सुगाली माता की प्रतिमा, वीर अमर सिंह राठौड़ पैनोरमा, नागौर, गोगामेडी हनुमानगढ़ पैनोरमा का शेष कार्य, पीपासर, नागौर में लोक देवता जाम्भोजी का शेष कार्य, खरनाल, नागौर में लोक देवता तेजाजी के पैनोरमा का शेष कार्य, सीलू, जालौर

में नर्मदेश्वर धाम का शेष कार्य पूर्ण कराने हेतु चरणबद्ध कार्य योजना तैयार की जाकर राशि स्वीकृत की जा चुकी है एवं कार्य प्रगति पर है।

169. पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में ग्राम धानक्या, जयपुर मे संग्रहालय स्थापना सम्बन्धी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। डीग किला, भरतपुर, वाटिका एवं महल (सफेद महल), भरतपुर एवं वैर किला भरतपुर में संरक्षण एवं पुनर्रूद्धार कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन उपरान्त निविदा सूचना जारी की जा चुकी है। गागरोन किला, गढ़ पैलेस, मउबोरदा, झालावाड़ एवं सांभर जयपुर के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट हेतु निविदा प्रक्रिया जारी है।

170. नाथद्वारा धार्मिक स्थल के सुनियोजित एवं चरणबद्ध विकास के लिए अब तक इस वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ एक लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। कामां में स्थित मंदिर श्री मदनमोहनजी के सौन्दर्यीकरण के लिए कराए जाने वाले कार्यों को चिन्हित कर कार्यकारी एजेन्सी को 34 लाख 70 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। मानगढ़ धाम, त्रिपुरा सुन्दरी, रामदेवरा, तनोट, नाथद्वारा, सांवलियाजी, पुष्कर, मेहन्दीपुर बालाजी, डिग्गी कल्याण जी, बेणेश्वर धाम जैसे प्रारम्भिक तौर पर चिन्हित 31 मंदिरों, धर्म स्थलों का योजनाबद्ध विकास कराने के लिए चयन किया गया है।

171. राजस्थान के महान संतों के जीवन और उनकी शिक्षाओं की जानकारी देने के लिए संत नगरी की स्थापना हेतु राजस्थान के 19 महत्तवपूर्ण सन्तों के कर्म एवं धर्मस्थलों को चिन्हित किया गया है।

172. खनिज सम्पदा की दृष्टि से राजस्थान अतिसमृद्ध है। वर्ष 2014-2015 में खान विभाग द्वारा 2 हजार 291 करोड़ 44 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक लक्ष्यानुसार राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है।

173. जैसलमेर जिले में 150 एवं नागौर जिले में 343 मिलियन टन लाइमस्टोन के भण्डार पाए गए हैं। बीकानेर जिले की कोलायत तहसील में 9 मिलियन टन लिग्नाइट के भण्डार मिले हैं। जैसलमेर एवं चितौड़गढ़ जिले में लाइमस्टोन के खनन पट्टे हेतु मंशा-पत्र जारी किए जा चुके हैं, जिससे इस क्षेत्र में 4 सीमेंट प्लान्ट आगामी 3 वर्ष में लगने की सम्भावना है।

174. खनन पट्टों के आवेदन-पत्र अब आनलाइन किए जा रहे हैं। पट्टेधारियों से राजस्व अब ई-ग्रास के माध्यम से लिया जाना प्रारम्भ कर दिया गया है। खनिज नीति, 2015 इसी वित्तीय वर्ष में घोषित की जाएगी, जिससे खनिज विकास को नये आयाम प्राप्त हो सकेंगे।

175. आदिवासी क्षेत्रों में गत् 8-9 वर्षों से खनिज लीज देने पर लगी रोक हटाकर लीज देना प्रारम्भ किया गया।

176. राज्य के लिए गौरव की बात है कि पेट्रोलियम सेक्टर में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे राज्य को गत 6 वर्षों में 20 हजार करोड़ रुपये की रायल्टी गैर-कर राजस्व के बतौर प्राप्त हुई है। इससे पेट्रोलियम विभाग राज्य में राजस्व में दूसरे नंबर पर आ गया है।

177. बाड़मेर क्षेत्र से वर्तमान में लगभग एक लाख 75 हजार बैरल प्रतिदिन खनिज तेल का उत्पादन किया जा रहा है, जो कि देश के खनिज तेल के घरेलू उत्पादन का लगभग 22 प्रतिशत है। इससे राज्य देश में बाम्बे-हाई के बाद दूसरा अग्रणी तेल उत्पादक क्षेत्र हो गया है। साथ ही जैसलमेर एवं बाड़मेर क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के वृहद् भण्डारों की खोज की गई है।

178. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए एवं सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु सामान्य जन की शिकायतों और सुझावों के निवारण का एकीकृत मंच राजस्थान सम्पर्क पोर्टल www.sampark.rajasthan.gov.in के माध्यम से क्रियान्वित कर दिया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत केन्द्रीय एकीकृत शिकायत निवारण साफ्टवेयर-राजसम्पर्क पोर्टल, नागरिक सम्पर्क केन्द्र, राजस्थान सम्पर्क केन्द्र एवं ई-मित्र केन्द्रों के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। साथ ही जन समस्या निवारण की सुविधा को राजस्थान वी.सी. के माध्यम से बढ़ाते हुए पंचायत समिति स्तर तक अटल सेवा केन्द्रों पर राजस्थान सम्पर्क आई.टी. केन्द्र क्रियाशील कर दिए गए हैं।

179. शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले, छात्रवृत्तियां प्राप्त करने वाले छात्र, राज्य सरकार, निगमों एवं मंडलों से सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदनकर्ता नागरिकगण एवं रोजगार चाहने वाले अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारियों व अन्य

प्राधिकारियों से सत्यापित कराके प्रस्तुत करने पड़ते थे और कई मामलों में नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करने पड़ते थे। इस व्यवस्था के सरलीकरण हेतु 24 नवम्बर, 2014 से दस्तावेजों के स्व-प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू की गई है। स्टाम्प पर प्रस्तुत की जाने वाली शपथपत्र व्यवस्था को समाप्त कर 01 जनवरी, 2015 से स्वयं द्वारा सादा कागज पर घोषणा प्रस्तुत करने की व्यवस्था लागू की गई है।

180. राज्य सरकार ने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के अन्तर्गत भरतपुर, बीकानेर एवं उदयपुर सम्भागों में जाकर जनता की समस्याओं के समाधान की एक नई पहल शुरू की है। आजादी के बाद 66 वर्षों में अब तक सरकार जिन लोगों तक नहीं पहुंच पाई या जो लोग सरकार तक अपनी पहुंच नहीं बना पाए, आखिरी छोर पर बैठे ऐसे प्रत्येक व्यक्ति तक शासन की पहुंच बनाने के साथ ही सरकार और जनता के बीच की इस दूरी को पाटने के लिए सरकार ने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम जैसा ऐतिहासिक कदम उठाया है। ग्रास रूट पर पाई जाने वाली कमियों एवं स्थानीय समस्याओं तथा विकास अन्तराल के मद्देनजर मंत्रिमण्डल की बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करके विकास कार्यों की घोषणा की जाती है। जनता में विश्वास कायम रखने का यह एक अभिनव प्रयोग है।

181. नवगठित राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष एवं सदस्य के पद पर नियुक्ती कर दी गई है। उक्त सेवा चयन बोर्ड 3 हजार 600 रुपये या इसके कम ग्रेड पे के अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा के पदों पर भर्ती से सम्बन्धित कार्य सम्पादित करेगा।

182. कार्मिक विभाग द्वारा मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के 408 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान कर अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु पात्र बनाया गया है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग की वरिष्ठता सूचियां जारी कर सभी वेतन श्रृंखलाओं की विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2014-15 तक की बैठकें आयोजित कर कनिष्ठ वेतन श्रृंखला वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर 147 अधिकारियों को पदोन्नत किया गया।

183. स्टाम्प डयूटी एवं पंजीयन शुल्क से प्राप्त राजस्व राज्य आय का एक प्रमुख स्रोत है। चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में आबंटित आय लक्ष्य 4 हजार 200 करोड़ के विपरीत दिसम्बर, 2014 तक 2 हजार 385 करोड़ 29 लाख की आय अर्जित की जा चुकी है।

184. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं बी पी एल महिलाओं के पक्ष में हस्तान्तरण दस्तावेजों पर स्टाम्प डयूटी 5 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत लेने की रियायत दी गई है।

185. ई-स्टाम्पिंग के प्रथम चरण में 7 सम्भागीय मुख्यालयों के 24 पूर्णकालीन उप पंजीयक कार्यालयों में 500 रुपये से अधिक के ई-स्टाम्प जारी करने की व्यवस्था की गई।

माननीय सदस्यगण !

186. वर्ष 2014-15 के लिए मूल्य परिवर्धित कर के लिए आबंटित लक्ष्य 25 हजार 625 करोड़ रुपये के विरुद्ध दिसम्बर, 2014 तक 17 हजार 721 करोड़ 66 लाख रुपये का राजस्व अर्जन किया गया है। यह वार्षिक लक्ष्य का 69.16 प्रतिशत है। जीएसटी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उद्योग समूहों एवं व्यापारिक संगठनों से संवाद कायम करने हेतु 16 दिसम्बर, 2014 को माल एवं सेवा कर परामर्श समिति का गठन किया गया है।

187. एकमुश्त कर संदाय करने वाले व्यवहारियों के लिए नियमों का सरलीकरण किया गया। 75 लाख रुपये की टर्नओवर वाले व्यवहारियों को नि:शुल्क डिजिटल सिग्नेचर उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। कर विवरणी विलम्ब से प्रस्तुत करने पर देय विलम्ब शुल्क का सरलीकरण किया गया।

188. सुसंगत निर्णयों एवं उनके सही क्रियान्वयन के फलस्वरूप वर्ष 2014-15 की आबकारी नीति के अनुसार बंदोबस्त का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया एवं इसके परिणामस्वरूप इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2014 तक 3 हजार 617 करोड़ 87 लाख रुपये आबकारी राजस्व प्राप्त हुआ जो गत वर्ष की तुलना में 20.64 प्रतिशत अधिक है।

189. डोडा-पोस्त व अन्य व्यसनियों को व्यसन मुक्त करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ कार्य योजना बनाकर

नशामुक्ति शिविरों का आयोजन प्रारम्भ किया जा चुका है। वर्ष 2014-15 में 212 नशामुक्ति शिविरों के आयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं।

190. राज्य सरकार द्वारा भरतपुर में पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है, जिसने 01 अगस्त, 2014 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।

191. वर्ष 2014-15 में सेवानिवृत्ता अधिकारियों व कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा पर 175 करोड़ रुपये का व्यय होने का अनुमान है।

192. राज्य में वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि हेतु 59 हजार 557 हैक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण व बीजारोपण कार्य कर 387 लाख 93 हजार पौधे रोपित किए गए हैं। उदयपुर जिले में बाघदड़ा वन क्षेत्र में नेचर पार्क एवं ईको टूरिज्म की गतिविधियों को विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

193. राज्य में निर्माणाधीन तीन बायोलोजिकल पार्क यथा सज्जनगढ़, उदयपुर, माचिया, जोधपुर एवं नाहरगढ़, जयपुर में से दो बायोलोजिकल पार्क सज्जजनगढ़, उदयपुर एवं माचिया पार्क, जोधपुर को पर्यटकों हेतु इसी वित्तीय वर्ष में खोल दिया जाएगा।

194. घायल वन्यजीवों के तत्कालीन उपचार हेतु जोधपुर में बिलाड़ा एवं ओसिया, श्रीगंगानगर में रायसिंहनगर, बीकानेर मे बज्जू एवं हनुमानगढ़ में पीलीबंगा में वन्यजीव रेस्क्यू सेन्टर का निर्माण वर्ष 2014-15 में करवाया जा रहा है।

195. धौलपुर में वन विहार कोठी के जीर्णोद्धार तथा वन विहार अभयारण्य को स्लाथ बियर सेन्चुअरी के रूप में विकसित किया जाएगा। सरिस्का एवं रणथम्भौर से विस्थापित परिवारों के लिए नये स्थल पर आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। चूरू जिला मुख्यालय पर नेचर पार्क विकसित किया जाना भी प्रस्तावित है।

196. गत सरकार द्वारा बनाये जा रहे वन कानून को लेकर व्यापक असंतोष को ध्यान में रखते हुये इसे स्थगित कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप आदिवासियों को राहत मिली। आदिवासियों के विरुद्ध चल रहे करीब 14 हजार मुकदमे एक ही वर्ष में हटा दिये गये। जबकि गत् वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग औसतन 1 हजार 500 मुकदमे हटाये जा रहे थे।

197. सभी क्षमता के विण्ड एण्ड सोलर रिन्यूअल पावर प्लांट्स एवं पच्चीस मेगावाट क्षमता से कम के मिनी हाइडल पावर प्लांट के प्रोजेक्ट्स का ग्रीन कैटेगिरी में वर्गीकरण आदेश 13 अगस्त, 2014 द्वारा किया गया है। ऐसी परियोजनाओं को 15 दिवस में स्थापना व संचालन के क्रम में सम्मति प्रदान किए जाने की कार्रवाई की गई है।

198. अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को आउट-आफ-टर्न पदोन्नति एवं 65 वर्ष से अधिक उम्र के हो चुके वरिष्ठ श्रेणी के खिलाड़ियों के लिये पेंशन योजना के नियम तैयार किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को राजकीय सेवाओं में 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। महाराणा प्रताप पुरस्कार एवं गुरू वशिष्ठ पुरस्कार की राशि पचास हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिए गए हैं।

199. बालिकाओं तथा महिलाओं के लिए 'सक्षम' आत्मरक्षा प्रशिक्षण के प्रथम चरण में जयपुर के 23 विद्यालयों की 10 हजार बालिकाओं को प्रतिदिन एक घण्टे का आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। द्वितीय चरण में यह कार्यक्रम राज्य के प्रत्येक जिले में लागू किए जाने की कार्रवाई की जा रही है।

200. राज्य सरकार ने अधिस्वीकृत पत्रकारों के कल्याण के लिए 2 लाख एवं 10 लाख रुपये की 2 मेडिक्लेम बीमा पालिसी तथा समूह दुर्घटना बीमा पालिसी जारी कराई है। मेडिक्लेम बीमा पालिसी पर देय प्रीमियम की 90 प्रतिशत राशि एक करोड़ 22 लाख 53 हजार रुपये तथा समूह दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत देय प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि एक लाख 91 हजार रुपये पत्रकार कल्याण कोष से उपलब्ध कराई गई है। मेडिक्लेम बीमा पालिसी का दायरा बढ़ाकर अधिस्वीकृत पत्रकार पर आश्रित माता-पिता व परिवारजनों को भी शामिल किया गया है।

201. राज्य में आपराधिक प्रकरणों में 2012 से 2013 की तुलना से 2013 से 2014 में वृद्धि दर कम रही है। हत्या में 3.60 प्रतिशत, हत्या का प्रयास में 0.12 प्रतिशत, डकैती में 81.85 प्रतिशत, लूट में 9.81 प्रतिशत, अपहरण में 40.01 प्रतिशत, बलात्कार में 45.89 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 11.17 प्रतिशत और महिला

अत्याचार में 22.35 प्रतिशत की अपराधों की वृद्धि में कमी आई है। कुल पंजीबद्ध अभियोगों की वृद्धि में विगत वर्ष से 7.56 प्रतिशत की कमी आई है।

202. महिलाओं में आत्मविश्वास तथा विपरीत परिस्थितियों से निपटने की क्षमता बढ़ाने के उद्देष्य से 'छात्रा आत्मरक्षा कौशल योजना' 15 अगस्त, 2014 से प्रारम्भ की गई है।

203. नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा के तहत शहरी गृह रक्षा में 22 हजार 874 एवं ग्रामीण गृह रक्षा में 5 हजार 176 तथा सीमा गृह रक्षा में 2 हजार 664 होम गार्डस शान्ति काल में प्रशासन एवं पुलिस को कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग प्रदान करते हैं। जनवरी 2014 से दिसम्बर, 2014 तक लगभग 40 लाख मानव दिवस होम गार्ड नियोजित किए गए हैं।

204. कारागृहों में सुरक्षा व्यवस्था मजूबत करने के उद्देश्य से लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से राज्य के केन्द्रीय कारागारों एवं उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर में 4जी जैमर स्थापित किए जा रहे हैं। इसी प्रकार जयपुर एवं जोधपुर के अतिरिक्त राज्य की लगभग एक दर्जन जेलों में लगभग 2 करोड़ रुपये लागत से सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित करने के अलावा जेलों की दीवारों को ऊंचा किया जा रहा है। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वर्ष 2014-15 में 624 प्रहरियों को नियुक्ति दी गई तथा 217 वरिष्ठ पदों पर पदोन्नतियां भी दी गई हैं।

205. राज्य सरकार ऊर्जा उत्पादन को सर्वाधिक महत्व दे रही है। राजस्थान को बिजली उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। गत एक वर्ष में उत्पादन क्षमता में एक हजार 150 मेगावाट की अतिरिक्त वृद्धि की गई है। 600 मेगावाट कालीसिंध द्वितीय इकाई से शीघ्र ही बिजली उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा। 220 केवी के 6, 132 केवी के 5 ग्रिड सब-स्टेशन व 33 केवी के 400 नये सब-स्टेशन बनाए जा चुके हैं। राजस्थान एक मात्र ऐसा राज्य है, जिसने अपने संसाधनों से 765 केवी प्रसारण तंत्र के दो ग्रिड सब स्टेशन फागी व अन्ता में हाल ही में पहली बार स्थापित कर संचालित किए हैं।

206. सितम्बर, 2014 में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा के लिए प्रसारण

तंत्र के विकास के लिए 900 करोड़ रुपये की योजना हेतु एडीबी से ऋण प्राप्त किया जा रहा है। इसी तरह रेगिस्तानी क्षेत्र में प्रसारण तंत्र को विकसित करने के लिए 407 करोड़ रुपये का ऋण लेने हेतु दिसम्बर, 2014 में करार किया गया है।

207. सौर ऊर्जा के विकास के लिए 'नई सौर ऊर्जा नीति' अक्टूबर, 2014 में जारी की गई है। इसके बडे उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। गत एक वर्ष में 141 मेगावाट सौर ऊर्जा, 267 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। आगामी 5 वर्षों में 25 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा विकसित करने की योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।

208. समय के अनुसार बहुत से कानून अप्रासांगिक एवं अनुपयोगी हो गये एवं उनसे आम-अवाम को अनावश्यक परेशान होना पड़ रहा था। ऐसे अनुपयोगी कानूनों को हटाने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी।

209. माननीय सदस्यगण! इस सत्र में निम्नलिखित विधायी कार्य के साथ-साथ अन्य वित्तीय कार्य सम्पादन हेतु आपके समक्ष विचारार्थ रखे जायेंगे:-

(i) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक-2015

(ii) राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक-2015

(iii) राजस्थान झील (संरक्षण एवं विकास) प्राधिकरण विधेयक-2015

210. राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये संकल्पबद्ध होकर हरसम्भव प्रयास कर रही है। विभिन्न क्षेत्रों में हो रही आशातीत प्रगति से विश्वास है कि शीघ्र ही राजस्थान विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी प्रदेशों की श्रेणी में शामिल होगा।

211. आइये हम सब मिलकर एक खुशहाल और विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने में अपनी सहभागिता निभायें।

212. अंत में कठोपनिषद के इस मंत्र के साथ मैं अपनी बात सम्पन्न करता हूं-

ओउम् सहनाववतु

सह नौ भुनक्तु

सह वीर्यं करवाव है

तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै

213. अर्थात हे प्रभु, हमको एक-दूसरे की रक्षा करने की सामर्थ्य दे... हम परस्पर मिलकर अपने समाज, भाषा व संस्कृति की रक्षा करें... किसी भी शत्रु से भयभीत न हों... हमारी शिक्षा हमें एकता के सूत्र में बांधे, बुराइयों से मुक्त करे... हम एक-दूसरे पर विश्वास रखें...

धन्यवाद!